अग्निशमन विभाग

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

जनपद ऊधमसिंह नगर
वर्ष 2015–16

अध्याय–1
प्रस्तावना, परिकल्पना एवं उद्देष्य

राज्य में अग्निशमन एवं आपात सेवा पुलिस विभाग की एक इकाई के रुप मे कार्यशील है तथा अग्निशमन विभाग में आपदा प्रबन्धन से जुड़ी हुई कार्यवाहियों का निष्पादन अग्निशमन एवं आपात सेवा मुख्यालय देहरादून एवं जनपद स्तर के पुलिस/अग्निशमन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा–निर्देशन में किया जाता है।

आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी नीतियों के क्रियान्वयन हेतु विभाग में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से हरसम्भव सहयेाग उपलब्ध कराते हुए आपदा की दृष्टि से जनपद को सुरक्षित बनाने का प्रयास करना। जनपद अग्निशमन सेवा का उद्देश्य अग्निदुर्घटनाओं के कारण होने वाले क्षतियों के प्रभाव का न्यूनतम करना है एवं जनसाधारण में अग्निदुर्घटनाओं के प्रति जागरुकता उत्पन्न कर ऐसी दुर्घटनाओं की सम्भावना को कम करना है।

अध्याय–2
आपदाओं के प्रति जनपद की संवेदनषीलता एवं पूर्व में आपदा की स्थितियों में विभाग द्वारा सम्पादित विषिष्ट कार्य

जनपद में सम्भावित आपदाऐं–

प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील राज्य का भाग होने के कारण जनपद उधम सिंह नगर भी आपदा के प्रभावों से अछूता नहीं है। जनपद मुख्यतः बाढ़ की समस्या से प्रभावित है यद्यपि विगत वर्षों में जनपद की जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरुप सड़क परिवहन पर पड़ रहे अतिरिक्त दबाव के कारण सड़क दुर्घटनाओं में व्यापक वृद्धि हुई है साथ ही तीव्र औद्योगीकरण के कारण जनपद मे औ़द्योगिक क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं में भी वृद्धि देखी जा सकती है।

जनपद के अनेक क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, सिडकुल की स्थापना के फलस्वरुप पन्तनगर एवं सितारगंज क्षेत्र में कई वृहत औद्योगिक इकाईयॉ कार्यरत है ऐसे स्थलों पर बहुत अधिक संख्या में लोग एकत्रित रहते हैं अतः यह सभी क्षेत्र आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनषील है तथा ऐसे स्थलों पर आपदा से सम्भावित क्षति का परिमाण सर्वाधिक होगा।

पूर्व में घटित आपदाओं जैसे बाढ़ में विभाग द्वारा खोज एवं बचाव कार्य में सहयोग दिया गया तथा राहत शिविरों के संचालन, राहत सामग्री के वितरण आदि हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराये गये। पूर्व में कुछ निर्माणाधीन भवनो के अचानक ध्वस्त हो जाने की घटनाओ पर विभाग द्वारा खोज एवं बचाव कार्य कर भवनो में फंसे हुए व्यक्तियो को निकाला गया। साथ ही कई मार्ग दुर्घटनाओं में जीव रक्षा कार्य किया गया इसके अतिरिक्त सामान्य रुप से अग्निशमन कार्य किया गया है। अनेक अवसरों पर कुछ औद्योगिक संस्थानों में हानिकारक गैसों के रिसाव की घटनाओं पर जीवरक्षा कार्य एवं गैसों के रिसााव को बन्द किया गया है।

अध्याय–3
विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्यों का विवरण व इनमें आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी पक्षों के समावेष की सम्भावनाऐं

विभाग द्वारा मुख्य रुप से अग्निशमन सेवा उपलब्ध करायी जाती है आपदा के दौरान अग्निदुर्घटनाओं की रोकथाम एवं खोज एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करना विभाग का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

आपदा से पूर्व जागरुकता कार्यक्रमों हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है तथा अग्निसुरक्षा से जुड़ी तकनीकी एवं आवश्यक जानकारियों को सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जाता है।

प्रशिक्षण– जनपद अग्निशमन सेवा के अधिकांश कार्मिक राज्य में उपलब्ध आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण संस्थानों से 20 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए हैं तथा फायर स्टेशनों पर समय–समय पर उक्त प्रशिक्षण तकनीकों का अभ्यास किया जाता है।

आपदा की अवधि में विभाग द्वारा मुख्यतः अग्निदुर्घटनाओं के रोकथाम का प्रयास किया जाता है बाढ़ आदि घटनाओं पर खोज–बचाव कार्य तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस को सहयोग प्रदान किया जाता है।

अध्याय–4
आपदा की स्थिति मे विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले उत्तरदायित्वों का विवरण

आपदा से पूर्व–विभाग द्वारा आपदा से पूर्व जागरुकता के प्रसार हेतु समय–समय पर विभिन्न औद्योगिक, व्यावसायिक, शौक्षणिक एवं अन्य संस्थानों में मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

आपदा के समय– विभाग द्वारा मुख्यतः अग्निदुर्घटनाओं के रोकथाम का प्रयास किया जाता है बाढ़ आदि घटनाओं पर खोज–बचाव कार्य तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस को सहयोग प्रदान किया जाता है।

आपदा के उपरान्त– विभाग द्वारा राहत शिविरों के संचालन, राहत व्यवस्था के वितरण, यातायात व्यवस्था की पुर्नस्थापना एवं अन्य आवश्यक सेवाओं हेतु कार्यबल उपलब्ध कराते हुए आवश्यकं सहयोग किया जाता है।

अध्याय–5
विभाग द्वारा नियमित रुप से किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम व उनके सम्पादन हेतु विकसित रणनीति

विभाग द्वारा नियमित रुप से विभिन्न संस्थानों की अग्निसुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया जाता है अतः ऐसे संस्थानों में आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु आवश्यक प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए सस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का और अधिक सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है साथ ही सम्बन्धित अग्निशमन अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

विभागीय अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आधुनिक तकनीकी युक्त अग्निशमन वाहनों एवं अन्य उपकरणों की आवश्यकता है ऐसी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यालय को प्रस्ताव/सूचनाऐं भेजी गयी हैं उक्त सम्बन्ध में अग्निशमन एवं आपात सेवा मुख्यालय से ही अग्रिम कार्यवाही की जानी है।

अध्याय–6
आपदा प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में विभागीय क्षमता विकास नीति

आपदा प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में विभागीय क्षमता के उन्नयन हेतु कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण के स्तर में सुधार तथा उपलब्ध मशीनी संसाधनों की तकनीकी में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में अग्निशमन कर्मियों को 20 दिवसीय खोज एवं बचाव प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है किन्तु निर्धारित समयावधि में उक्त प्रशिक्षण का पुनः अभ्यास न हो पाने के कारण कार्यकुशलता में कमी आना स्वाभाविक है। अतः समस्त कार्मिकों को अधिक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने एवं निर्धारित समय में रिफ्रेशर कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने की आवश्यकता है।

प्रषिक्षण का औचित्य– आपदा के दौरान न्यूनतम समय में अधिकाधिक व्यक्तियो के जीवन की सुरक्षित प्रकार से रक्षा एवं बचाव किये जाने हेतु प्रशिक्षित एवं आपदा बचाव कार्यो में दक्ष कर्मचारियों की उपलब्धता नितान्त आवश्यक है। अतः आपदा बचाव हेतु पूर्व प्रशिक्षण अत्यन्त औचित्यपूर्ण है।

प्रषिक्षण आवष्यकताओं का निर्धारण– वर्तमान में अग्निशमन कर्मियों को 20 दिवसीय खोज एवं बचाव प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। किन्तु आपदा के दौरान घायल व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु कर्मचारियों को मैडिकल फर्स्ट रिस्पौन्डर जैसे प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना भी उपयोगी होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमित क्रियान्यवन की व्यवस्था का निर्धारण मुख्यालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

वर्तमान में उपलब्ध प्रषिक्षण	समयावधि	अन्य आवष्यक प्रषिक्षण	समयावधि
खोज एवं बचाव	20 दिवस	एमएफआर	10–20 दिवस
–	–	खोज बचाव रिफ्रेशर कोर्स	07–10 दिवस

अध्याय–7

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं की समीक्षा व उच्चीकरण हेतु व्यवस्था

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित समय पर बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें जनपद के सभी अग्निशमन अधिकारी प्रतिभाग करते हैं, तथा इस दौरान घटित घटनाओं तथा उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना हेतु जो भी सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर सम्यक विचारोपरान्त उन्हे आपदा प्रबन्धन योजना में सम्मिलित किया जाता है, साथ ही सभी अधीनस्थ अधिकारियों को तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित भी कर दिया जाता है।

प्रमुख विभागीय अधिकारियों का विवरण

क्र	नाम	पदनाम	पता	मोबाइल नं0
1	श्री चन्दन सिंह जीना	उपनिदेशक तकनीकी	फायर सर्विस मुख्यालय जाखन देहरादून	9837571069
2	श्री नरेन्द्र सिंह कुँवर	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	फायर स्टेशन रुद्रपुर	9456592170
3	श्री हरीश गिरी	अग्निशमन अधिकारी	फायर स्टेशन रुद्रपुर	9456592171
4	श्री गोपाल सिंह रावत	अग्निशमन अधिकारी	फायर स्टेशन पन्तनगर	9456592172
5	श्री नैन सिंह बोरा	अग्निशमन अधिकारी	फायर स्टेशन काशीपुर	9456592173
6	श्री कैलाश	अग्निशमन अधिकारी	फायर स्टेशन जसपुर	9456592174
7	श्री प्रयाग सिंह डोबाल	अग्निशमन अधिकारी	फायर स्टेशन सिडकुल सितारगंज	9456592175
8	श्री वंश बहादुर यादव	अग्निशमन अधिकारी	फायर स्टेशन खटीमा	9456592176

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये विशिष्ट उपकरण

क्र0	नाम विशिष्ट उपकरण	संख्या
1	डायमण्ड चेन सॉ कटर (Diamond Chain Saw Cutter)	01
2	सरक्यूलर सॉ (Circular Saw)	01
3	हाईड्रोलीक रेस्क्यू कटर विध हाईड्रोलिक पावर पम्प (Hydraulic Rescue Cutter with Hydraulic Power Pump)	01
4	हाईड्रोलीक रेस्क्यू स्प्रैडर विध हाईड्रोलिक पावर पम्प (Hydraulic Rescue Spreader with Hydraulic Power Pump)	01
5	Concrete Cutter	01
6	Wood Cutter	01

आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा तात्कालिक रूप से किये जाने वाले कार्य

अग्निषमन विभाग जनपद ऊधमसिंह नगर		
1	किसी भी आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा तत्कालिक रूप से किये जाने वाले कार्य	जिम्मेदारी अधिकारी का नाम ब्लाकनुसार/मोबाईल नं0
	• आवश्यक सूचनाओं का आदान–प्रदान • घटनास्थल हेतु सम्बन्धित अग्निशमन अधिकारी/कार्मिकों को रवाना–कराना • घटना स्थल हेतु कार्मिकों को रवाना–करना • घटना स्थल पर आवश्यकतानुसार मानव संसाधन एवं वाहनों तथा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना • अन्य अग्निशमन केन्द्रों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करना • राहत कार्य के दौरान कार्यरत विभिन्न अग्निशमन इकाईयों के मध्य समन्वय स्थापित करना	• श्री नरेन्द्र सिंह कुँवर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (9456592170) • श्री नरेन्द्र सिंह कुँवर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (9456592170) • श्री हरीश गिरी, अग्निशमन अधिकारी, रूद्रपुर (9456592171) • श्री गोपाल सिंह रावत, अग्निशमन अधिकारी, पन्तनगर (9456592172) • श्री नैन सिंह बोरा, अग्निशमन अधिकारी, काशीपुर (9456592173) • श्री कैलाश, अग्निशमन अधिकारी, जसपुर (9456592174) • श्री प्रयाग सिंह डोबाल, अग्निशमन अधिकारी, सितारगंज (9456592175) • श्री वंश बहादुर यादव, अग्निशमन अधिकारी, खटीमा (9456592176) • श्री नरेन्द्र सिंह कुँवर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (9456592170) • श्री नरेन्द्र सिंह कुँवर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (9456592170) • श्री नरेन्द्र सिंह कुँवर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (9456592170)
2	घटना की समाप्ति तक किये जाने वाले अन्य कार्य	जिम्मेदार अधिकारी का नाम/मोबाईल नं0
	• घटना स्थल से आवश्यक सूचनओं का आपदा–प्रदान • घटना स्थल पर आवश्यकतानुसार मानव संसाधन एवं वाहनों तथा उपकरणों की माँग • घटना के दौरान नायकत्व एवं कार्यरत बल को आवश्यक दिशा–निर्देश देना • वस्तुस्थिति से उच्चधिकारियों को अवगत कराना	• श्री हरीश गिरी, अग्निशमन अधिकारी, रूद्रपुर (9456592171) • श्री गोपाल सिंह रावत, अग्निशमन अधिकारी, पन्तनगर (9456592172) • श्री नैन सिंह बोरा, अग्निशमन अधिकारी, काशीपुर (9456592173) • श्री कैलाश, अग्निशमन अधिकारी, जसपुर (9456592174) • श्री प्रयाग सिंह डोबाल, अग्निशमन अधिकारी, सितारगंज (9456592175) • श्री वंश बहादुर यादव, अग्निशमन अधिकारी, खटीमा (9456592176)

3	विभागीय संसाधन सूची	अन्य संसाधनों की सूची
	संलग्नक–1 पर	संलग्नक–2 पर

तहसीलवार उपलब्धता का स्थान

संलग्नक–1

उपकरण	रूद्रपुर	काषीपुर	खटीमा	जसपुर	सितारगंज	पन्तनगर	योग
Water tender	02	02	02	2	01	01	10
Foam tender	01	01	-	-	01	01	04
DCP tender	-	-	-	-	01	01	02
Rescue tender	01	-	-	-	-	01	02
PPCV/jeep	01	1	-	1	1	-	04
Toeing Vehicle	01	-	1	-	-	-	02
Portable pump	01	1	1	1	-	01	05
Floater pump	-	-	-	-	-	-	-
Trolley	2	-	1	-	-	-	03
Generator	1	-	1	1	1	-	04
Air com	01	-	-	01	01	-	03
Fire fighting bike	01	-	-	-	-	-	01
mini-water tender	01	01	01	01	-	-	01
जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	श्री हरीश गिरी	श्री नैन सिंह बोरा	श्री वंश बहादुर	श्री कैलाश	श्री प्रयाग सिंह डोबाल	श्री गोपाल सिंह रावत	
मोबाईल नं0	945659217	9456592173	945659217	9456592174	9456592175	9456592172	

संलग्नक–2

अन्य संसाधनों की सूची जिसकी आवष्यकत विभाग को आपातकाल के दौरान या पष्चात् होती है (संसाधन का नाम/फर्म–व्यक्ति का नाम/मोबाईल नं0)

क्र0	संसाधन का नाम	फर्म का नाम	व्यक्ति का नाम	मोबाईल नं0
1	मोटर फायर इंजन–01	अशोका लीलैण्ड, सिडकुल पन्तनगर	श्री परचून चन्द्र मिश्रा	9557040476, 05944–259292
2	मोटर फायर इंजन–01	बजाज लि0, सिडकुल पन्तनगर	श्री अरमान श्री जीवन सिंह	8171801188 9997998316 05944–661335
3	मोटर फायर इंजन–02	टाटा मोटर्स, सिडकुल पन्तनगर	श्री संदीप चौबे	8272016245 05944–663100
4	मोटर फायर इंजन–02	आई0जी0एल0, काशीपुर	श्री एन0एस0चौहान	9690022726
5	मोटर फायर इंजन–01	टैक्नो इलैक्ट्रानिक प्रा0लि0, काशीपुर	श्री जी0एस0राजपूत	9760096660

उपरोक्त के अतिरिक्त अग्निशमन कार्य हेतु जल संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति नगर क्षेत्रों में स्थित फायर हाइड्रैण्टों तथा विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में स्थापित पम्प गृहों के माध्यम से की जा सकती है।